न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
रा.प्रा.पत्र संख्या 88/2023

प्रार्थी :-
1-उमरावकंवर पुत्री मोहनसिंह जाति राजपूत
निवासी थांवला तहसील रियांबड़ी
अप्रार्थीगण :-
1-मंगेजकंवर पत्नी अमरसिंह
2-मोहनसिंह पुत्र सांवतसिंह
3-राजकुमारी पुत्री मोहनसिंह
4-सुमन कंवर पुत्री मोहनसिंह
5-स्वरूप कंवर पुत्री मोहनसिंह
सभी जातियान राजपूत निवासीगण थांवला तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।
6तहसीलदार रियांबड़ी
7- पटवारी हल्का मेड़ास तहसील रियांबड़ी जिला नागौर
9-उप पंजियक रियांबड़ी।

वकील प्रार्थी :- श्री अर्जुनपुरी गौस्वामी
वकील अप्रार्थी संख्या 1-श्री घनश्याम खालिया

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :- 9/5/24

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता है कि :-

वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र व वाद अनवान सदर का पेश किया गया। जो बहुत ही मजबूत बिनाय पर है जिसमें कामयाबी मिलने की पूरी पूरी आशा है। प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 एक ही परिवार के सदस्य है। हिन्दु है व हिन्दु मिताक्षरा की बनारस शाखा से गर्वन होते है। सभी एक ही परिवार के सदस्य है।

मौजा थांवला के सरहद में स्थित खसरा नंबर 1656 रकबा 3त्र5.3700 हेक्टर,खसरा नंबर 4802/1657 रकबा 6.2500 हैक्टर कुल रकबा 11.6200 हैक्टर की भूमि प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की संयुक्त काश्त व कब्जासुद हैजो प्रार्थना पत्र में आगे विवादित खसरान के नाम से सम्बोधित की गई है। विवादित खसरान के पुराने खसरा नंबर 1199/1 व 1700/1 थे। विवादित भूमि प्रार्थीनी के पिता मोहनसिंह की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। मोहनसिंह व उसके पुत्रो ने आपस में मिलावट करके प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 से बाले बाले प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 3 से 3 को उनके हक व अधिकारो से महरूम करने की नियत से उक्त खसरान सहित अन्य भूमि का मिलावटी बंटवारा करवाकर वादग्रस्त खसरान की खातेदारी प्रार्थीनी के भाई अमरसिंह के नाम दर्ज करवा दी। तत्पश्चात अमरसिंह के फौत होने पर प्रतिवादीनी संख्या 1 का नाम दर्ज हो गया। जो कि प्रार्थीनी व अप्रार्थीग्ण संख्या 3 से 5 के हक व अधिकारो के खिलाफ शुन्य व प्रभावहीन है।

वादग्रस्त खसरान की भूमि पैतृक है जिसमें प्रार्थीनी को जन्म से हक व अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीनी का संयुक्त रू‍ से काश्त व कब्जा है और प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 का शामलाती हक बंट व अधिकार निहित है। वादग्रस्त खरा की भूमि में प्रार्थीनी का हक व हिस्सा बिना फंटा हुआ शामलाती काश्त व कब्जा है मगर वादग्रस्त खसरान का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नहीं हो रखा है।

वादग्रस्त खसरान की भूमि अप्रार्थीनी संख्या 1 के नाम होने से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की नियम में फर्क आ गया हैऔर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अन्य लोगो से मिलावट करके वादग्रस्त खसरान का बेचान व हस्तान्तरण करने पर तुले हुए है। अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काश्त व कब्जा करना चाहते है। प्रार्थीनी को वादग्रस्त खसरान की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला-नागौर

अगर अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादो में सफल हो गये तो प्रार्थीनी को अपूर्णीनीय क्षति कारित होगी। जिससे प्रार्थीनी को प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में मजबूत है क्योंकि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी का संयुक्त रूप से काश्त व कब्जा है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में अगर अप्रार्थीगण के विरूध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीनी को अपूर्णीनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

वकील प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को जबाब बावत जरिये नोटिस के तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील घनश्याम खालिया ने वकालतनामा व जबाब पेश किया गया व अप्रार्थी संख्या 3 व 5 ने अपना जबाब पेश किया गया। जो शामिल मिसल किया गया।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब में बताया गया कि प्रार्थीनी ने वाद व प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधर पर पेश किया गया है जिसमें किसी प्रकार से कामयाबी नहीं मिलने की आशा है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की संयुक्त काश्त व कब्जासुदा नहीं है। बल्कि अप्रार्थीनी संख्या 1 की बंटसुदा खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। वादग्रस्त आराजी के पुराने खसरा नंबर 1199/1 व 1200/1 जो पूर्व में अप्रार्थीनी संख्या 1 की स्वअर्जित खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। अप्रार्थी संख्या 2 ने आज से काफी वर्ष पूर्व अपनी खातेदारी की भूमि का बंटवारा किया,तब वादग्रस्त खसरान की भूमि अप्रार्थीनी संख्या 1 के पति अमरसिंह के बंट में दे दी थी। तथा अपने अन्य पुत्रो को अन्य भूमि बंट में दे दी थी। जिसका इन्द्राज संवत् 2024 से 2027 की खतोनी में जरिये नामान्तकरण संख्या 728 के द्वारा खसरा नंबर 1200/1 रकबा 48 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नंबर 1199/1 रकबा 33 बीघा 02 बिस्वा की खातेदारी अमरसिंह के नाम दर्ज हुई। जो दिनांक तक लगातार चल रही है। अप्रार्थीनी के पति अमरसिंह के देहान्त होने के बाद फौतदगी नामान्तकरण अप्रार्थीनी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई। जिस पर अप्रार्थीनी संख्या 1 काश्त व काबिज है। जो संयुक्त खातेदारी की न होकर अप्रार्थीनी संख्या 1 के नाम दर्ज है। अप्रार्थीनी संख्या 1 के नाम नामान्तकरण सही किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के अमरसिंह के अलावा भी बलवीरसिंह,अजीतसिंह,सुरेन्द्रसिंह भी पुत्र थे जिनके नामान्तकरण संख्या 728 से खातेदारी दर्ज हुई मगर प्रार्थीनी ने जानबूझ कर बदनियति से अप्रार्थी संख्या 2 व उनके पुत्रो के बंट की जमीन को वाद में शामिल नहीं किया गया है। केवलमात्र बदनियति से अप्रार्थीनी जबाबदेहिन्दा को हैरान व परेशान करने के लिए वाद पेश किया गया है।

प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीनी संख्या 1 के पक्ष में मजबूत है क्योंकि वह रेकोर्डेड खातेदार है और वादग्रस्त आराजी पर काश्त काबिज है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है। अगर प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 के द्वारा अप्रार्थीनी 1 को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर देगे तो उसको अपूर्णीनीय क्षति कारित होगी। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी ने अपनी बहस में बताया गया वादग्रस्त आराजी प्रार्थीनी व अप्रार्थीगणो की संयुक्त काश्त व कब्जासुद है और पूर्व में यह भूमि मोहनसिंह की खातेदारी की थी। वादग्रस्त खसरान पैतृक है। जिस पर सभी विधिक वारिसान का समान हक व हिस्सा है। मोहनसिंह व उसके पुत्रो ने आपस में मिलावट करके प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के बाले बाले प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 को उनके हक व अधिकारो से महरूम करते हुए मिलावटी बंटवारा करवा लिया गया। जो शुन्य व प्रभावहीन है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया गया कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में अप्रार्थीनी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है और उनका ही काश्त व कब्जाा चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पूर्व में मोहनसिंह के नाम दर्ज थी। मोहनसिंह ने वादग्रस्त आराजी अपने पुत्रो के बीच किया गया जिसमें वादग्रस्त आराजी अमरसिंह के बंट में दी गई। जिसका नामान्तकरण 728 के द्वारा खातेदारी दर्ज हुई जो संवत् 2024 से 27 की जमाबंदी से विदित है उससे लेकर आ दिनांक अप्रार्थीनी संख्या 1 के नाम खातेदारी में चली आ रही है। प्रार्थीनी ने अप्रार्थी संख्या 2 के अन्य पुत्रो के नाम जो बंटवारे में जमीन दी गई उसको शामिल नहीं किया गया है केवल अप्रार्थीनी संख्या 1 के जमीन का बंटवारा वाद पेश किया गया है। भूमि पैतृक है। जिसका बंटवारा पूर्व में अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा किया जा चूका है। अप्रार्थीनी संख्या 1 को परेशान व हैरान करने के लिए वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीनी संख्या 1 रेकोर्डेड खातेदार है और रेकोर्डेड

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला—जालौर

खातेदार की विरूध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना विधि विरूध है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर वाद के समर्थन में प्रस्तुत नीवनतम जमाबंदी व पुरानी जमाबंदीयो का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नंबरान से अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 2 ने संवत! 2024–2027 की खतौनी के अनुसार अपने पुत्रो के बीच पारिवारिक बंटवारा किया गया। जिसमें वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के पति अमरसिंह को बंट में दी गई जिसका नामान्तकरण उसके नाम 728 से खातेदारी दर्ज हुई तथा बकाया पुत्रो के नाम भी अन्य भूमि उनके हिस्से में जो दी गई, जिसका खातेदारी में इन्द्राज किया गया। वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीनी संख्या 1 के पति के बंट में दी गई। अप्रार्थी संख्या 1 के पति का देहान्त हो गया तदुपरांत अमरसिंह के बंट की भूमि उसके विधिक वारिसान के नाम यानि अप्रार्थीनी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज हुई जो आ दिनांक तक चल रही है। जिस पर उसका काश्त कब्जा बेरोकटोक चला आ रहा है। राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि प्रार्थीनी ने अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अपने अन्य पुत्रो को बंट में दी गई भूमि को शामिल नहीं किया गया है। अगर बंटवारा किया जाना है तो अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पैतृक भूमि जो भी उनके नाम दर्ज थी का वाद पेश करना चाहिए था। मगर प्रार्थीनी ने तथ्यों को छुपाकर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिससे विदित होता है कि प्रार्थीनी ने अप्रार्थीनी को तंग व परेशान करने की नियत से वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है।

समस्त विवेचन से पाया गया कि अप्रार्थीनी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि की रेकोर्डेड खातेदार है। जिस पर स्वंय का काश्त व कब्जा है। प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीनी संख्या 1 के पक्ष में है क्योंकि वह रेकार्डेड खातेदार है। सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीनी संख्या 1 को है क्योंकि वादग्रस्त आराजी पर उनका काश्त कब्जा लंबे समय से चला आ रहा है। अगर प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 के द्वारा अप्रार्थीनी संख्या 1 के कब्जे काश्त में दखलदांजी की गई तो अपूर्णीनीय क्षति अप्रार्थीनी संख्या 1 को होगी।

प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दु अप्रार्थीनी संख्या 1 के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीनी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट का खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा जारी पूर्व आदेश दिनांक 09.06.2023 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9/5/24 ....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी